

Dated 3/8/2017

Dated 3/8/2017

सेवा में

प्रथम अपीलीय अधिकारी

उपायुक्त पुलिस / उत्तरी पश्चिम जिला

अशोक बिहार, दिल्ली-110052

विषय-

सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के नियम 19(1) के लिए

महोदय,

सविनय निवेदन करना चाहता हूँ कि जन सूचना अधिकार 2311/17 का

संदर्भ ग्रहण करें:-

- 1- दिनांक 13-01-2017 को मैंने व्यक्तिगत रूप से कार्यालय उपायुक्त पुलिस उत्तर सिविल लाइन्स दिल्ली-110054 को उपलब्ध कराया था। इस मौखिक आश्वासन के साथ कि विभाग की नियमित डाक द्वारा उपरोक्त वारण्ट डी सी पी नोर्थ वैस्ट को अग्रेसित कर दिया जायेगा। (पावती संलग्न)
(पूर्व में शायद नरेला, पुलिस स्टेशन नरेला दिल्ली-110040 उपायुक्त दिल्ली पुलिस नोर्थ के कार्यक्षेत्र में आता था।)
- 2- दूसरी बार उपरोक्त वाद संख्या 10902/14 में NBW दिनांक 08-5-2017 को पंजीकृत डाक से उपायुक्त उत्तर पश्चिम अशोक बिहार नई दिल्ली 110052 को भेजा गया। (रसीद संलग्न)
- 3- इसके साथ-साथ उपरोक्त वारण्ट थाटा अध्यक्ष नरेला पुलिस स्टेशन नरेला दिल्ली 110040 को भी सूचनार्थ भेजा गया (रसीद संलग्न)।

अतः श्रीमान् जी से उपरोक्त वाद संख्या 10902/14 में जनपद न्यायालय अलीगढ़ उओप्र0 से दो बार NBW प्राप्त कर भेजे जा चुके हैं। NBW के क्रियान्वयन में देरी से मुकदमा लम्बित हो रहा है।

अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि आवेदक को जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में उल्लिखित अधिकार के तहत समुचित आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

सादर धन्यवाद सहित!

संलग्नक-

- 1- दिनांक 13-1-2017 की डी.सी.पी. नार्थ कार्यालय की पावती रसीद
- 2- डी सी पी नार्थ वैस्ट को भेजी गई पंजीकृत डाक की पावती रसीद
- 3- जनसूचना अधिकारी डीसीपी कार्यालय (प्रथम) उत्तर पश्चिम जिला अशोक बिहार की आर टी आई का जबाब

श्रीमान् अपीलीय

यशपाल सिंह पुत्र श्री कुवरपालसिंह
589, नई बस्ती, स्टेशन रोड,
शिकोहाबाद
मोबा 9719977318